अक्तूhबर, 2017में गृह मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां, महत्वcपूर्ण घटनाक्रम एवं महत्व पूर्ण कार्यक्रम

असम में राष्ट्री□य नागरिक रजिस्टांर (एनआरसी) की प्रगति तथा एनआरसी में शामिल मुद्दों, विशेषकर, समय सीमा, कानून एवं व्य वस्थाग की स्थिति तथा संबद्ध मामलों की समीक्षा करने के लिए माननीय गृह मंत्री की अध्य्क्षता में दिनांक 25.10.2017 को बैठक आयोजित की गई। बैठक में असम के मुख्यीमंत्री तथा असम सरकार के अन्य वरिष्ठ1 अधिकारियों ने भी भाग लिया।

2. दिनांक 31.10.2017 को, श्री नौरैद्दीन बवताएब, माननीय मिनीस्टेर-डेलीगेट, इंटिरियर, किंगडम ऑफ मोरक्कोस सरकार तथा श्री किरेन रिजीजू, माननीय गृह राज्य मंत्री के बीच बैठक आयोजित की गई जहां दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधों से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।

3. दिनांक 26.10.2017 को गृह मंत्री ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों की परियोजना के लिए सड़क कनेक्टिविटी परियोजनाओं हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय को निधियों के आबंटन में गति लाने के लिए वित्त मंत्री को पत्र लिखा।

4. राष्ट्री□य समुद्री एवं तटीय सुरक्षा सुदृढ़ीकरण समिति (एनसीएसएमसीएस) की 15वीं बैठक दिनांक 20 अक्तूदबर, 2017 को मंत्रिमंडल सचिव की अध्यतक्षता में आयोजित की गई।

5. स्व्च्छअ भारत मिशन के अंतर्गत, पोर्ट ब्लेयर शहर को गांधी जयंती 2017 के अवसर पर ''खुले में शौच से मुक्तद'' ओ डी एफ शहर घोषित किया गया है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने दमण नगरपालिका परिषद को दिनांक 13.10.2017 को खुले में शौच से मुक्तव घोषित किया है। इसके अतिरिक्तष, दमण एवं दीव की सभी ग्राम पंचायतों को भी खुले में शौच से मुक्तह घोषित किया गया है।

6. दिनांक 27.10.2017 को, माननीय उप राज्योपाल, दिल्लीै ने वर्ष 2020 के लिए दिल्ली् पुलिस के विजन के कार्यान्व2यन हेतु कार्य योजना तथा अगले 10 वर्षों के लिए कार्य योजना की समीक्षा की है। वर्ष 2020 के लिए दिल्ली पुलिस के विजन में स्मार्ट पुलिसिंग के विकास, प्रौद्योगिकी के एकीकरण, कृत्रिम आसूचना, थ्री डी प्रिंटिंग, ब्लॉ,क चेन और क्रिप्टो करेंसी, सेल्फ लर्निंग सिस्टकम, एग्रीगेटर्स, ब्रिक एवं क्लिक्स, कनेक्टिविटी और कनवर्जेंस की परिकल्पेना की गई है।

7. भारत और आस्ट्रेनलिया के बीच संयुक्त विषय संचालन समिति की पहली बैठक दिनांक 06.10.2017 को आयोजित की गई। भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्वम गृह मंत्रालय में अपर सचिव तथा आस्ट्रे□लिया सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्वा प्रथम असिस्टें□ट सेक्रेटरी द्वारा किया गया। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधों से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।

8. दिनांक 01.10.2017 को अधिसूचना जारी करके अरुणाचल प्रदेश के संपूर्ण तिरप, चांगलांग और लांगडिंग जिलों तथा असम राज्यक की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में 11 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले क्षेत्रों को दिनांक 01.10.2017 से 31.03.2018 तक के लिए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया।

9. दिनांक 01.10.2017 को एक अधिसूचना जारी करके असम की सीमा से लगे मेघालय राज्य की 10 किलोमीटर की पट्टी को दिनांक 01.10.2017 से 31.03.2018 तक के लिए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया।

10. विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) ने, भारत-म्यांतमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यावस्थाे के प्रभावी कार्यान्व यन के लिए दिनांक 16.10.2017 को बैठक आयोजित की।

11. दमण एवं दीव संघ राज्यए क्षेत्र प्रशासन ने औद्योगिक कामगारों तथा समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े अन्यण वर्ग के लोगों के लिए गुणवत्तायुक्तन तथा वहनीय आवास मुहैया कराने के उद्देश्यर से ''स्पर्श'' नामक एक नई स्कीयम शुरू की।

12. माननीय राष्ट्र पति ने इस माह के दौरान, कर्नाटक भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2016 नामक एक राज्या विधेयक को सहमति प्रदान की।

13. भारत के माननीय राष्ट्रमपति ने अग्निशमन सेवाओं, होमगार्डों तथा नागरिक रक्षा कार्मिकों के आठ श्रेणियों के पदक विजेताओं को स्क्रॉल प्रदान करने का अनुमोदन किया।

14. रोहिणी, दिल्ली् में राष्ट्रीनय आपदा प्रबंधन संस्थाान परिसर स्थाकपित करने के लिए राष्ट्रीवय आपदा प्रबंधन संस्थापन को 5 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

15. इस माह के दौरान, राष्ट्रड-विरोधी गतिविधियों तथा नकली भारतीय करेंसी नोटों की जब्तीि से संबंधित मामलों में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 196 के अंतर्गत पांच अभियुक्तोंर के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल करने हेतु अभियोजन की स्वीोकृति प्रदान की गई।

16. कानून एवं व्यिवस्थाई संबंधी ड्यूटियों तथा विभिन्नद त्यौ हारों के लिए पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीजर, दिल्लीस, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, असम, त्रिपुरा, दमण एवं दीव, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यी प्रदेश, झारखंड, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्रं, गोवा, ओडिशा, केरल, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब राज्यों केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 119 सशस्त्र कंपनियां तैनात की गईं। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में उप चुनाव संबंधी ड्यूटियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सशस्त्रस पुलिस बलों की 183 कंपनियां तैनात की गईं।

17. तेलंगाना के किसी भाग से आंध्र प्रदेश में प्रवासित होने वाले अभ्यिर्थियों को स्था नीय दर्जा प्रदान करने हेतु समय-सीमा को दिनांक 01.06.2017 से दो और वर्षों अर्थात् दिनांक 01.06.2019 तक बढ़ाने के लिए अनुच्छेरद 371घ के अंतर्गत राष्ट्र□पति आदेशों में संशोधनों को दिनांक 30.10.2017 को जारी किया गया।

18. नागरिक कार्य कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीाय सशस्त्र् पुलिस बलों (सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बकत सीमा पुलिस और सशस्त्र□ सीमा बल) को छ: करोड़ रुपए की निधि जारी की गई।

19. राष्ट्र व्यासपी आपात कार्रवाई प्रणाली (एनईआरएस) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आबंटित 84 करोड़ रुपए के कुल बजट के मुकाबले राज्यों□/संघ राज्ये क्षेत्रों को 43.7 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

20. विभिन्न मदों की व्यडवस्थाब एवं प्रापण के लिए केन्द्री□य सशस्त्र पुलिस बलों हेतु प्राधिकार, संभरण एवं व्यिय के लिए 167 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

21. सुरक्षा संबंधी व्ययय स्कीम के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के रूप में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्योंव क 142.04 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

22. इस माह के दौरान, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए राज्य1 सरकारों/केन्द्री□य सशस्त्र पुलिस बलों को सुग्राही बनाने के लिए उन्हेंा तीन परामर्शी-पत्र जारी किए गए।

23. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों2 को 174.32 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

24. मुद्रा ऋणों, वित्तीय समावेशन स्की.मों को बढ़ावा देने तथा ग्राहकों और व्या्पारियों को भुगतान के माध्य्मों में तेजी से परिवर्तन करने के लिए प्रोत्सावहित करने हेतु पुडुचेरी में दिनांक 12.10.2017 को मुद्रा संवर्धन अभियान चलाई गई है।

* * * * *